

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा /पीएसपी-सी /अ-2 /60567 /को. मा. शि. बो./2023-24/.....

198-199

दिनांक: 27-05-2023

TO

विद्यालय का नाम :- NAV JYOTI PUB. SCHOOL JASAI (P21827)

विद्यालय का वर्तमान पता :- V.P.O. JASAI

संस्था का नाम :- NAV JYOTI SHIKSHA SAMITI JASAI
MUNDAWAR

आवेदन क्रमांक :-42360

From

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

एनओसी कोड:- RJAWR32772

Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2023-24 के लिए सी.बी.एस.सी.ई./सी.आई.एस.सी.इ./सी.ए.आई.ई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय NAV JYOTI PUB. SCHOOL JASAI (P21827) V.P.O. JASAI को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 को अधीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीकृत संस्था NAV JYOTI SHIKSHA SAMITI JASAI MUNDAWAR के अन्तर्गत सचालित गैर सरकारी विद्यालय NAV JYOTI PUB. SCHOOL JASAI (P21827) को शैक्षिक सत्र 2023-24 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

विद्यालय का नाम -	NAV JYOTI PUB. SCHOOL JASAI (P21827)
सर्वे संख्या /प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता -	V.P.O. JASAI
गांव/शहर -	JASAI
तहसील/कस्वा -	MANDAWAR
मान्यता कोड -	RJAWR32772
विद्यालय का पीएसपी कोड	P21827

नोट: NIC विभिन्न स्कॉलों / डीईओ (मा.शि.) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए रकूल / डीईओ(मा.शि.) / निदेशालय जिम्मेदार होंगे।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रमाण-पत्र

सत्र 2023-24 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई दिस्ती से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को पाठ्य-प्र० ११५/शिव्य-१/2009/पार्ट-४ प्राप्ति हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के दिवाली 2023-24 के लिए ही मान्य होगा।
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993, तथा संशोधित नियम-2011 की पालना की जावेगी।
3. विद्यालय/संस्था द्वारा राज्य/राजीव तत्त्वीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यात्राविहिनी के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अक्षरता: पालना की जावेगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा विद्या का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुराग में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अक्षरता: पालना की जावेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (डे स्कॉलर/बोर्डिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का सचालन मान्यता प्रदत्त स्तर तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सूचित करना होगा। साथ ही विद्यालय को राजस्थान बोर्ड से संबद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
8. विद्यालय में अग्रिमतान यंत्र स्थापित किया जाना एवं इसके सचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त विभाग जाना होगा।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाइल टावर स्थापित नहीं करेगी।
10. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वाइट रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में ट्रिब्यून चनों के लिए ऐम्प एल अम्ब जाहशख कुडियाई उपलब्ध करवाई जायेगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण की पालना की जानी होगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपलब्ध रहस्यों कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमोत्तु प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

नोट:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सदृश में जारी शासन के पत्र दिनांक को क्रम में पांच सर्वांगीकृती दी गई है तो उन शर्तों की पालना करनी अनिवार्य होगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यार्थियों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। इसके परिणाम सदृश उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का सचालन नहीं कर सकेगी।

जिला	ALWAR	बॉर्ड	MANDAWAR
विद्यालय का नाम	NAV JYOTI PUB. SCHOOL JASAI (P21827)		
संवंधित (CBSE/CISCE/CAIE)	CBSE		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र	2023-24	माध्यम	Both (Hindi/English)
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Secondary (1-10)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Secondary (1-10)

नोट:- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपर्योग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/ संकाय/विषय/माध्यम के सदृश में ही उपयोग किये जाने हेतु संबद्धता की एनओसी प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled.



नोट: NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मासिक) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अर्थीकर करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मासिक) / निदेशालय जिम्मेदार होते हैं।

गा
निदेशक

आई.ए.एस

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर